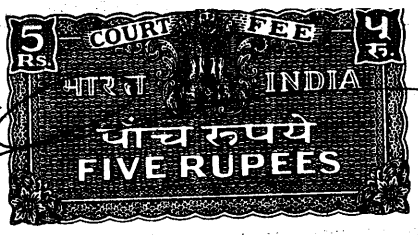

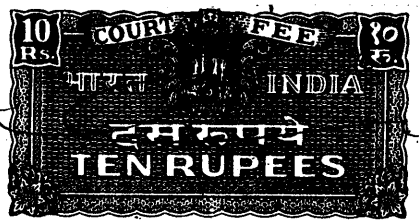

5 COURT FEE ५ भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

10 COURT FEE १० भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

192

(1)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर म0प्र0.

===

अ0 या0/प्र0क्र0 निग0 312-IV/06 सन 2006

1. हरकिशुन तनय बरजोरा चमार
2. हरदयाल तनय बारेलाल चमार
निवासीगण ग्राम कलानी तह0 छतरपुर
जिला छतरपुर म0प्र0 ----आवेदक/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. मातादीन तनय पिरवा चमार
निवासी कलानी तह0 व जिला छतरपुर म0प्र0
2. म0प्र0 शासन --- अनावेदकगण

आज 20/2/06 प्राप्त

योग्य अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के आदेश दिनांक 7.12.05 के प्रकरणक्रमांक 662अ19/02-03 से दुखी होकर अ0 यावेदन प्रस्तुत.

=====================================

महोदय,

निवेदन है कि नायब तहसीलदार महोदय, छतरपुर के प्रकरण क्र. 1-अ-19/91-92 में दिनांक 21.7.91 को भूमि खसरा नं. 292 का जुज रकवा 1.800 हे0 स्थित ग्राम कलानी अनावेदक00 मातादीन के नामएक पट्टा व्यवस्थापन का फर्जी रूप से जारी होना बताया जाता है। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीयअधिकारी, छतरपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी जो दिनांक 7.1.2002 को इस आधार पर निरस्त कर दी गईथी कि आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार छतरपुर के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है और अपीलअवधि के बाहर प्रस्तुत की गईहै।

अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के अदेशके विरुद्ध आवेदकगण

(2)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 312–दो/2006 जिला–छतरपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8 – 2–17	आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 662/अ–19/02–03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7.12.05 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि ग्राम कलानी तहसील व जिला छतरपुर की भूमि खसरा नंबर 252 रकवा 5.93 एकड़ भू–अभिलेख में शासकीय दर्ज थी जिसमें से 1.800 है0 का पट्टा नायव तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 1/अ–19/91–92 में पारित आदेश दिनांक 21.7.91 द्वारा मातादीन तनय प्रिस्वा चमार निवासी ग्राम कलानी के नाम से दिया गया है जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 7.1.02 को इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं लगाई गई है। आवेदक द्वारा इससे परिवेदित होकर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 145/निगरानी/02–03 दर्ज कर दिनांक 17.3.03 द्वारा इस आधार पर निरस्त की गई कि इसके विरूद्व अपील दायर होना थी जबकि आवेदक द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है इस आधार पर निगरानी निरस्त की गई । आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो उनके द्वारा दिनांक 7.12.05 को 4 माह से अधिक विलंब होने के कारण निरस्त किया गया। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

3– आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा जिलाध्यक्ष के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जो आवेदक के अधिवक्ता भूलवश प्रस्तुत की गई । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक अशिक्षित होने के कारण अवधि विलंब अपील प्रस्तुत होने के कारण अपर आयुक्त सागर द्वारा निरस्त की गई है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा प्रतिलिपि के लिये आवेदन दिया गया था लेकिन यह कह कर आवेदन वापस कर दिया गया कि रिकार्ड रूम में अभिलेख उपलब्ध नहीं है इसलिये नायव तहसीलदार के आदेश की सत्यप्रतिलिपि उपलब्ध नहीं हो सकेगी। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण का निराकरण गुण दोष के आधार पर करना चाहिये था लेकिन उनके द्वारा चार माह से अधिक समयावधि बाहय होने से निरस्त करने में त्रुटि की गई है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे तथा अपर आयुक्त सागर का आदेश दिनांक 7.12.05 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक कमांक–1 के अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी का अन्तिम निर्णय था जिसके विरूद्व अपील होना थी लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत की है जो उनको सुनने का अधिकार ही नहीं था इसलिये आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से एवं अपर आयुक्त के यहां 4 माह से अधिक विलंब से प्रस्तुत करने से निरगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5– अनावेदक कमांक–2 शासन के पैनल अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र शुक्ला द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है, उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की

आवश्यकता नहीं है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

6– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं अभिलेख का अध्ययन किया गया। यह सही है कि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 4.7.01 को प्रारंभिक तर्क श्रवण कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की गई है और प्रारंभिक तर्क सुनने के पश्चात धारा 48 के अंतर्गत प्रकरण में ग्राह्यता के बिन्दु पर कोई आदेश नहीं किया गया लेकिन यह भी सही है कि दिनांक 7.1.02 को अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर का आदेश अंतरिम प्रवृत्ति का नहीं है। अपितु यह अंतिम आदेश है और धारा–50 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में अंतिरिम आदेश के विरूद्व निगरानी सुनी जाती है, न कि अंतिम आदेश के विरूद्व। अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में 4 माह के विलंब से अपील प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा धारा–5 का आवेदन निगरानी के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। अपर आयुक्त सागर का प्रकरण कमांक 662/निगरानी/अ–19/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 7.12.05 विधि प्रावधानों से उचित होने के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य